

कार्यालय शिक्षा अधिकारी क्षेत्र-12 (वाल) पंडल पश्चिम नई दिल्ली ।

संख्या 3050

दिनांक 20/5/80

सेवा में,

प्रबन्धक,
दयानन्द प्राइम स्कूल,
आर्य समाज, नई दिल्ली ।

विषय:- आपके विद्यालय को कक्षा एक से कक्षा आठ तक कम्पोजिट मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

:- :- :- :- :-

महोदय,

आपके पत्र संख्या शून्य दिनांक 8-6-79 के संदर्भ में आपकी सूचित किया जाता है कि शिक्षा निदेशक महोदय ने आपके विद्यालय को कक्षा एक से कक्षा आठ तक निम्नलिखित शर्तों पर अनुदान रहित मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी है ।

- 1- विद्यालय में शीघ्र ही एक प्रयोगशाला बनाई जाए और कम से कम 3000/- का सामान चालू वर्ष में इसके लिये खरीदा जाये ।
- 2- विद्यालय के पुस्तकालय में 5000/- की और पुस्तकें खरीद कर छात्रों तथा शिक्षकों के उपयोग के लिये रखी जाये ।
- 3- कम से कम दो कम्परेट और बनाये जाये जिससे कि आठवीं कक्षा सुचारु रूप से चल सके ।
- 4- दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 तथा दिल्ली विद्यालय के शिक्षा नियम 1973 का पूरा तरह पालन किया जाये ।
- 5- विभाग द्वारा समय-2 पर जारी किये गये आदेश तथा निर्देशों का पूरा तरह पालन किया जाये ।

बलदीय
[Signature]
(शहबीर अहमद) 16/5/7980

शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र-12 (वाल)

दिनांक

संख्या

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1- निजी सहायक, सचिव (शिक्षा) दिल्ली प्र० दिल्ली ।
- 2- निजी सहायक, शिक्षा निदेशक, पु० सचिवालय, दिल्ली ।
- 3- अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (सामान्य)
- 4- समस्त उप शिक्षा निदेशक
- 5- समस्त शिक्षा अधिकारी
- 6- संयुक्त शिक्षा निदेशक (योजना)
- 7-
- 8- सेवा अधिकारी, शिक्षा निदेशालय ।
सहायक शिक्षा निदेशक (निजी) (सामान्य)

[Signature]
(शहबीर अहमद)
16/5/7980

शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र-12 (वाल)

DAYANAND MODEL SCHOOL

Subhas Chandra
Authorised Signatory
12/6/21